शोध मंथन, 2017 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X, Impact Factor 3.8942 (ICRJIFR)
UGC Aproved Journal No. 40908

भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की उपादेयता

कल्लन सिंह मीना

व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गंगापुर सिटी (राजस्थान)

सारांश

मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकार अति आवश्यक है। जिन्हें समाज व राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। राज्य को लोकतांत्रिक रूप से शासन व्यवस्था के संचालन के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान के द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा संभव है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद व बारह अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान के भाग–तीन के अनुच्छेद बारह से पैंतीस तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों का छः मूल अधिकार प्राप्त हैं। ये अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को बिना भेदभाव के समान रूप से प्रदान किये गये हैं, भारत में सदियों से दलितों ,आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, पिछडों, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति भेदभाव किया जाता रहा व अमानवीय व्यवहार होता रहा। इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने इन वर्गों के उत्थान व अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किये हैं। जिससे वास्तविक लोकतन्त्र स्थापना की जा सके। प्रजातांत्रिक राज्य की स्थापना मूल अधिकारों के बिना संभव नहीं है।

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः

कल्लन सिंह मीना , ''भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की उपादेयता'',
शोध मंथन जून 2017,
पेज सं0 107–112
http://anubooks.com/?page_id=2030
Artcile No.18(SM425)

प्रस्तावना

मनुष्य सृष्टि की सबसे सुन्दर रचना है। जिसकी अपनी बुद्धि, चेतना, चरित्र, मानवीयता होती है। यह एक सामाजिक प्राणी है। प्राचीन काल में मानव जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करता था लेकिन धीरे–धीरे अपनी बुद्धि एवं चेतना के कारण समूह में रहने लगा इससे आगे स्थायी रूप से बस्तियाँ बनाई एवं अपने खान–पान रहन–सहन में बदलाव किया एवं अपनी स्थायी सम्पत्ति बनाने लगा। अपनी सम्पत्ति और अपने परिवार की रक्षा के लिए युद्ध एवं संघर्ष करने लगा। अपने हक की माँग करने लगा व समाज पर अपने अधिकार जमाने लगा। अतः मनुष्य को जीवित रहने एवं अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए अधिकार आवष्यक है। मनुष्य को जन्म के साथ ही अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनकी रक्षा का दायित्व समाज, राज्य एवं व्यक्ति कर्तव्यों पर निर्भर करता है। जिन्हें समाज एवं राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। अधिकार अनेक प्रकार के होते हैं– सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक, नैतिक, मानवीय अधिकार इत्यादि। इन अधिकारों की रक्षा का दायित्व राज्य के हाथों में होता है एवं राज्य अपनी शासन व्यवस्था का संचालन संवैधानिक रूप से करता है। बिना संविधान के शासन व्यवस्था का संचालन करना संभव नहीं है। संविधान के माध्यम से ही व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा संभव है। संविधान के कई प्रकार है– विकसित व निर्मित संविधान, लिखित व अलिखित संविधान, लचीला व कठोर संविधान। यह लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ है।

भारतीय संविधान निर्माताओं ने मानवाधिकारों की अवधारणा से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना हेतु समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की एवं इनकी प्राप्ति के लिए नीति निदेशक तत्वों के द्वारा राज्य को निर्देशित किया गया है। केबिनेट योजना ने मई 1946 में मूल अधिकार हेतु परामर्श समिति के गठन की सिफारिश की संविधान सभा ने सरदार बल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में परामर्श समिति का गठन किया। बाद में जे.वी. कृपलानी की अध्यक्षता में मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए एक उपसमिति का गठन किया। परामर्श समिति तथा उप समिमि की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल कियाा गया। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के प्रमुख उद्देश्य सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना, नागरिकों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना, कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित करना, एक ऐसी सरकार का गठन करना जिसका लक्ष्य व्यक्तियों के हितों में अभिवृद्धि करना एवं सदियों से समाज में दबे कुचले, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं के हितों की रक्षा करना उन मूल्यों का संरक्षण करना है जो एक स्वतन्त्र समाज के लिए आवश्यक है। सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त करना है। भारतीय संविधान के भाग तीन में (अनुच्छेद 12–35 तक) वर्णित मौलिक अधिकारों के रूप में व्यक्ति को गरिमामयी एवं प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के अधिकार प्रदान किये है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को छः मूल अधिकार प्रदान किये गये हैं। 44वे संवैधानिक संशोधन 1979

द्वारा संविधान के अनुच्छेद–19 (1) (च) व 31 में वर्णित सम्पत्ति के मूल अधिकार को निरस्त (समाप्त) कर दिया गया एवं संविधान में नया अनुच्छेद 300 (क) जोडकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया जिसके द्वारा व्यवस्था की गई कि विधि सम्मत कानून के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से बेदखल (वंचित) नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों का अर्थ–मूल अधिकार वे अधिकार है जो मनुष्य को गरिमामय जीवन जीने के लिए अनिवार्य है, संविधान में जिनका उल्लेख किया जाता है, संविधान सुरक्षा की गारन्टी देता है एवं राज्य द्वारा अवांछित रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18 तक) वास्तविक लोकतन्त्र की स्थापना के लिए समानता होना अति आवश्यक है। प्राचीन काल से हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक, नागरिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जाति, वर्ग, लिंग आदि असमानतायें समाज में व्याप्त थीं। जिन्हें इस अधिकार के माध्यम से समाप्त करने का प्रयत्न किया। अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त अधिकार सभी व्यक्तियों को प्रदान किया गया है जिसमें कानून के समक्ष समानता व कानून का समाान संरक्षण का अधिकार होगा। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता के लिए धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबन्धित (निषेध) किया गया है। किसी भी नागरिक को सामाजिक असमानता के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक होटलों, सड़कों, कुओं, घाटों, तालाबों, मनोरंजन के स्थान इत्यादि के प्रयोग (उपयोग) से नहीं रोका जा सकता। हालांकि राज्य, स्त्रियों, बच्चों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गो के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16 में सभी नागरिकों के लिए सरकारी रोजगार में अवसर की समानता प्रदान की गई है। अर्थात लोक नियोजन में समान अवसर प्रदान किये गये हैं। राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (3) (4) (5) में संसद कानून बनाकर किसी पद के लिए उस क्षेत्र और भाषा विशेष की जानकारी अनिवार्य कर सकती है। अनुसूचित जाति, अनुसुचित जनजाति व आर्थिक रूप से पिछडे वर्गो को उचित प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण का प्रावधान (अनुच्छेद 16(4)) कर सकती है अनुच्छेद 17–अस्पृश्यता का अन्त करती है, हमारे देष में छूआछूत या अस्पृश्यता की कैंसर रूपी कुप्रथा से समाज का दलित व आदिवासी वर्ग दासता व अपमान की जिन्दगी जी रहा था। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने व अछूतों के उद्धार के लिए जीवन भर संघर्ष किया इस भावना को ध्यान में रखते हुए अस्पृश्यता को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया। अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोशित कर दण्ड का प्रावधान किया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। जिससे की समाज में भेदभाव पैदा नहीं हो। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी राज्यों से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन सेना व शिक्षा (विद्या) सम्बन्धि उपाधि ा ग्रहण कर सकता है। स्वतन्त्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 में उल्लेखित किया गया है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता लोकतन्त्र की सफलात के लिए अनिवार्य है। स्वतन्त्रता को प्लेटो, अरस्तु से लेकर रूसो, लॉक, हींगल, जे.एस.मिल, टीन. एच ग्रीन, हैराल्ड लास्की जैसे विचारकों ने व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक माना है एवं विस्तृत व्याख्या की है। अनुच्छेद 19 सबसे

महत्वपूर्ण है। जिसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता इसमें प्रेस की स्वतन्त्रता भी शामिल है, शांतिपूर्ण तथा अस्त्र–शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतन्त्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतन्त्रता, यह स्वतन्त्रता लोकतन्त्र का आधार है इसी स्वतन्त्रता के माध्यम से ही राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है। यह मजदूर व कर्मचारी वर्ग के लिए अधिकार पत्र है। भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में भ्रमण एवं निवास या बसने की स्वतन्त्रता। उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतन्त्रता। लेकिन भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता व अखण्डता, दलित व आदिवासियों के हितों की रक्षा, समाज में शांति, नैतिकता व व्यवस्था बनाये रखने के साथ ही विदेशी राज्यों में मधुर व मैत्रीपुर्ण सम्बन्ध आदि के हित में इस स्वतन्त्रता को युक्तियुक्त तरीके से प्रतिबन्धित या सीमित किया जा सकता है। **अनुच्छेद 20** अपराध के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान करता है। किसी व्यक्ति को दी गई सजा उस समय निर्धारित सजा से अधिक नहीं हो सकती एवं एक ही अपराध के लिए दोहरी सजा नहीं दी जा सकती एवं स्वयं अपने विरूद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। **अनुच्छेद 21** में व्यक्तिगत जीवन एवं दैहिक स्वतन्त्रता का अधिकार मिला है इसमें त्वरित जॉज कर व्यक्ति को न्याय–प्रदान करना है जरूरतमंद लोगों निःशुल्क कानूनी सहायता, पुलिस द्वारा शारीरिक कष्ठ न देना, गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा कानूनी सलाह लेना, पुलिस के क्रूरता के खिलाफ अधिकार, अपील करने का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन दिसम्बर 2002 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के अनुच्छेद–21 (ए) के अन्तर्गत मूल अधिकार के रूप में शामिल कर राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगा। इसके द्वारा बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिका अधिकार प्राप्त हुआ है। **अनुच्छेद 21** द्वारा प्रदत्त जीवन व दैहिक स्वतन्त्रता के अधिकार को आपातकाल में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। यह बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। **अनुच्छेद 22** बन्दीकरण तथा नजरबन्दी से संरक्षण से जुडा अधिकार है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। उसे तुरन्त गिरफ्तार की जानकारी दी जावेगी एवं घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायेगा। सूचना का अधिकार 2005 के द्वारा नागरिकों के केन्द्र सरकार. राज्य सरकारों, पंचायतीराज संस्थाओं आदि से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा एवं नागरिक अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग कर सकेंगें एवं अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे।

अनुच्छेद 23 व 24 में व्यक्तियों को शोषण के विरूद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 में मनुष्य के क्रय–विक्रय एवं बेगारी (बलात् श्रम) प्रथा पर रोक लगाई गई है। भारत में प्राचीन काल से दासता व बेगारी प्रथा चली आ रही थी जिसमें दलित वर्ग, खेतीहर श्रमिक व महिलाओं पर घोर अत्याचार किये जाते थे। जिन्हें रोकने के लिए अत्याचार के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दण्डनीय घोषित कर दिया गया। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को प्रतिबन्धित किया गया है जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से कारखानों एवं जोखिम भरे कार्य नहीं करवाये जा सकते। यह एक दण्डनीय अपराध है इसमें बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबन्ध लगाया है। **अनुच्छेद 25, 26, 27, 28** में व्यक्ति के धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतन्त्रता एवं किसी भी धर्म को स्वीकार करने पालन

करने व प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। (अनुच्छेद 25) यह अनुच्छेद भारत में धर्म निरपेक्षत राज्य की अवधारणा को स्थापित करता है। भारत एक विविध धर्म एवं संस्कृति वाला देश है। अनुच्छेद 26 व्यक्ति को धार्मिक कार्यो का प्रबन्ध करने की स्वतन्त्रता प्रदान करता है। व्यक्ति को अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यो के लिए दिये गये धन (दान) पर कर के भुगतान से छुट प्रदान करता है। एवं राज्य व्यक्ति को ऐसे धन पर कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 28 में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इस अनुच्छेद का लक्ष्य व्यक्ति को धर्म के नाम पर शोषण से बचाना है। अतः राज्य आर्थिक, राजनीतिक एवं सार्वजनिक हित की दृष्टि से उचित प्रतिबन्ध लगा सकता है। अनुच्छेद 29 व 30 में संस्कृति व शिक्षा सम्बन्धी अधिकार के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किये हैं। अनुच्छेद 29 व्यक्ति को इस बात की गारन्टी देती है कि अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षित रख सकता है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा। इसमें अल्पसंख्यक वर्गो को अपनी भाशा व संस्कृति की रक्षा का विशेष अधिकार है। ये अधिकार देश में संस्कृति अनेकता का फल है। **अनुच्छेद 30** धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गो को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है एवं व्यवस्था करता है कि राज्य शिक्षण संस्थाओं को सहायता प्रदान करते समय धर्म व भाषा के आधार पर भेद भाव नहीं करेगा। **अनुच्छेद 32** संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से सम्बन्धित है। यह अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों की रक्षा व क्रियान्वयन की गारन्टी प्रदान करता है। राज्य द्वारा मूल अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है तो प्रत्येक नागरिक को राज्य के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) तथा उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) में रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार प्राप्त है एवं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने का सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय पाँच प्रकार की रिट–बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पृच्छा जारी कर सकती है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के उल्लेख के साथ ही उनकी सुरक्षा की गारन्टी भी देती है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का ह्रदय तथा आत्मा कहा है। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसे संकटकालीन परिस्थितियों में अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को स्थगित या निलम्बित किया जा सकता है।

भारत में सदियों से दलितों, आदिवासियों, पिछड़ो, अल्पसंख्यक व महिलाओं एवं बच्चों के प्रति भेदभाव किया जाता रहा, इनके साथ अमानवीय, क्रूरता, जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता रहा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे समाज सुधार एवं संविधान निर्माताओं ने विशेषकर महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर आदि ने भारत में सच्चा लोकतन्त्र स्थापित करने के लिए संविधान के अन्तर्गत इन वर्गो के उद्धार व सरंक्षण के लिए मौलिक अधिकारों के रूप में विशेष प्रावधान किये। क्योंकि भारत विदेशी सत्ता तो स्वतन्त्र हो जायेगा लेकिन देश के अन्दर कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में शासन की बागडोर होगी जिससे समाज में एक बड़ा वर्ग फिर से गुलामी की ओर चला जायेगा एवं जो अत्याचार प्राचीनकाल से इनके साथ हो रहे थे ये

अत्याचार एवं अमानवीय व्यवहार इनके साथ होता रहेगा। जिसके कारण देश में सच्चे प्रजातांत्रिक षासन की स्थापना नहीं हो पायेगी।

प्रजातांत्रिक राज्य की स्थापना मूल अधिकारों के बिना संभव नहीं है। अतः प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए मूल अधिकारों की आवश्यकता है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए नैतिकता व आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता होती है। इनके बिना व्यक्ति का विकास रूक जाता है। अतः व्यक्ति अपना नैतिक व आध्यात्मिक विकास मूल अधिकार प्राप्त होने पर ही कर सकता है। मौलिक अधिकारों को देश के संविधान में स्थान दिया गया है। एवं संसद संवैधानिक संशोधन (अनुच्छेद 368) प्रक्रिया के अलावा उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती एवं मूल अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती। क्योंकि मूल अधिकार संविधान में मूल ढाँचे में शामिल है। संसद संविधान के मूल ढाँचे को समाप्त नहीं कर सकती (सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय केशवानन्द भारती विवाद 1972) जहाँ नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किये जाते हैं उस देश में शान्ति एवं समृद्धि बनी रहती है। हिंसा, गृहयुद्ध, शोषण व अराजकता नहीं फैलती मौलिक अधिकारों का हनन होने पर लोकतन्त्र खतरे में पड़ जाता है। जैसा कि अफ्रिकी महाद्वीप के अधिकांश देश, मुस्लिम देशों में मानवाधिकारों का हनन होने के कारण गृहयुद्ध राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा, गरीबी, भूखमरी, आतंकवाद जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मूल अधिकार न्याय योग्य होते है। लेकिन व्यक्ति के अधिकारों के हनन की रोज घटनाएँ घटती है। जिन्हें रोकने की अति आवश्यकता है। व्यक्तियों के गरिमामयी जीवन जीने, आत्म सम्मान तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जीवन का सर्वांगीण विकास और लोकतन्त्र के समग्र विकास के लिए मौलिक अधिकारों का संरक्षण अति आवश्यक है।

संदर्भ–ग्रन्थ सूची

1. *पाण्डेय, जयनाराण–"भारत का संविधान" सेन्ट्रल लॉ ऐजेन्सी, इलाहाबाद*
2. *बसु, डी.डी.–"भारत का संविधान एक परिचय" वाधवा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली*
3. *कश्यप, सुभाष –"ह्यूमन राइट एण्ड द पार्लियामेन्ट" मैट्रोपोलिटन कम्पनी, नई दिल्ली*
4. *सक्सेना, के.पी.– "ह्यूमन राइट एण्ड द कन्स्टीटयुशन : विजय एण्ड रियलिटी" ज्ञान प्रकाशन, नई दिल्ली।*
5. *जैन, पुखराज – "भारतीय राज व्यवस्था' साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा*
6. *जैन, पुखराज – "भारतीय शासन एवं राजनीति : राज्यों की राजनीति सहित" फडिया, बी.एल. साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।*
7. *सिंह, वीरकेश्वर प्रसाद–"भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं भारती संविधान" ज्ञानदा प्रकाशन (पी.डी.), नई दिल्ली।*
8. *मिश्रा, महेन्द्र कुमार – "भारत का संविधान एवं मानवाधिकार" सागर पब्लिशर्स, जयपुर।*
9. *इण्डिया टुडे – विभिन्न अंग*
10. *आउटलुट – विभिन्न अंग*
11. *दैनिक भास्कार – दैनिक समाचार पत्र, जयपुर, राजस्थान*
12. *राजस्थान पत्रिका – दैनिक समाचार पत्र, जयपुर, राजस्थान*
13. *राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग – वेवासाइट, http://www.nhrc.in*